



उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन, टिहरी कोठी, लखनऊ - 226001

दूरभाष : 0522 .2627111, 2622363

फैक्स : 0522 - 2615526 . 2628841 . 2623578

वेबसाइट- www.upsrtc.com

संख्या : 195 पीएस/मु0प्र0प्र0(प्रशासन)/कैम्प/14

दिनांक 30 दिसम्बर, 2014

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
समस्त सेवा प्रबन्धक,
समस्त स0क्षे0प्र0 डिपो,
समस्त डिपो फोरमैन,
समस्त केन्द्र प्रभारी,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषय: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों एवं अनुबन्धित बसों जिनमें वीटीएस नहीं लगा है उनमें वीटीएस लगवाये जाने, वीटीएस को सही हालत में रखे जाने एवं वीटीएस का सही ढंग से प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

परिवहन निगम के समस्त डिपो एवं वर्कशाप में ट्राईमेक्स के कर्मचारी एवं फोरमैन की ड्यूटी आउटशेडिंग एवं इनशेडिंग के समय नियमित रूप से वीटीएस की जांच हेतु लगायी गयी है, इस सम्बन्ध में इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि ट्राईमेक्स के सम्बन्धित कर्मचारियों एवं निगम के फोरमैन द्वारा वीटीएस की जांच में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती जा रही है। जिस कारण से सम्बन्धित बसों के चालक/परिचालक द्वारा वीटीएस का दुरुपयोग करते हुये निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे एक तरफ जहां निगम पर वित्तीय भार बढ़ रहा है वहीं दूसरी तरफ निगम की क्षति भी आम जनता में धूमिल हो रही है, जिस पर तत्काल प्रभाव से प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु निम्न व्यवस्था को लागू किया जाता है जिसको सभी सम्बन्धित द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1. जिन वाहनों में वी0टी0एस0 सिस्टम लगा हुआ है उनके चालक/परिचालक द्वारा कि0मी0 सत्यापित किया जायेगा।
2. डिपो इंचार्ज/स0क्षे0प्र0 वाहन द्वारा संचालित कि0मी0 का सत्यापन करेंगे।
3. इसके अतिरिक्त स0क्षे0प्र0 वाहन द्वारा चलाये गये कि0मी0 को वी0टी0एस0 से मिलान करने के उपरान्त ही भुगतान के लिये प्रेषित किया जायेगा।
4. स0क्षे0प्र0(वित्त) अपने स्तर से चेक करने के उपरान्त ही भुगतान हेतु अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित मुख्यालय अग्रसारित करेंगे।
5. दोनों शिफ्ट में ट्राईमेक्स के जो भी कर्मचारी डिपो में लगे हैं नियमित रूप से निगम फोरमैन के साथ आउटशेडिंग/इनशेडिंग के समय वी0टी0एस0 को चेक करेंगे कि वी0टी0एस0 कार्य कर रहा है अथवा नहीं? यदि वीटीएस कार्य नहीं कर रहा है तो उसे ठीक कराने के उपरान्त ही वाहन को मार्ग पर संचालन हेतु भेजा जायेगा।
6. बस को आउटशेडिंग एवं इनशेडिंग करते समय बस में लगे वी0टी0एस0 के सही एवं खराब होने की स्थिति का उल्लेख आउटशेडिंग एवं इनशेडिंग रजिस्टर पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा, जिस पर ट्राईमेक्स के ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी एवं सम्बन्धित फोरमैन द्वारा नियमित रूप से प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित किया जायेगा।

7. जिन वाहनों में मार्ग से लौटते समय वी0टी0एस0 टूटा अथवा खराब पाया जाता है तो सम्बन्धित बस के चालक/परिचालक से स0क्षे0प्र0 द्वारा वीटीएस खराब होने की सम्यक जानकारी की जायेगी यदि चालक/परिचालक की भूमिका संदिग्ध पायी जाती है तो उन पर तत्काल नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाय। इसी प्रकार यदि ट्राइमेक्स के कर्मचारी की भूमिका वी0टी0एस0 खराब करने में संदिग्ध पायी जाती है तो उसका भी उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके खिलाफ भी नियमानुसार तत्काल कार्यवाही की जाय।
8. वी0टी0एस0 को चेक करने के उपरान्त नियमित उसकी सूचना ट्राइमेक्स कर्मचारी एवं सम्बन्धित फोरमैन द्वारा डिपो इन्चार्ज/स0क्षे0प्र0 को उसी दिन उपलब्ध करायी जाय।
9. यदि इन शेडिंग के समय बस में लगा वी0टी0एस0 सही पाया जाता है और दूसरे दिन आऊट शेडिंग के समय यदि वीटीएस खराब पाया जाता है तो सम्बन्धित कार्यशाला प्रभारी एवं अधिनस्थ कर्मचारी जिसकी ड्यूटी उस समय थी उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये तत्काल उसके विरुद्ध वीटीएस खराब करने का दोषी मानते हुये नियमानुसार कार्यवाही की जाय।
10. जिन वाहनों पर वी0टी0एस0 लगा हुआ है एवं सही हालत में कार्य कर रहा है, उन वाहनों का आऊट शेडिंग से इन शेडिंग तक का संचालित किमी0, समय प्रत्येक वाहन का प्रत्येक दिन का रिकार्ड में लिया जाये तथा उसकी नियमित सूचना प्रतिदिन प्र0प्र0(आई0टी0), निगम मुख्यालय को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
11. निगम एवं अनुबन्धित कुल 1695 बसों में से क्षेत्रवार एवं डिपोवार कुल कितनी-कितनी बसों में वीटीएस लगाया जाना है अपने-अपने क्षेत्र एवं डिपो से सम्बन्धित सूचना 03 दिन में प्र0प्र0(आईटी) निगम मुख्यालय एवं सेन्ट्रल कंट्रोल रूम निगम मुख्यालय लखनऊ को भेजना सुनिश्चित करें।
12. ट्राइमेक्स डाटा सेन्टर निगम मुख्यालय लखनऊ से क्षेत्रवार एवं डिपोवार उपलब्ध कराये गये बसों की वीटीएस की वर्तमान बसवार सूचना जिसमें कितने बसों में वीटीएस लगा है, कितने बसों में वीटीएस काम कर रहा है और कितने बसों का वीटीएस खराब है जिसको ट्राइमेक्स डाटा सेन्टर निगम मुख्यालय लखनऊ द्वारा आपको मेल से प्रेषित किया गया है आप अपने-अपने क्षेत्र/ डिपोवार सूचना तत्काल निकालकर उस पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुये प्रधान प्रबन्धक(आई0टी0), निगम मुख्यालय को 03 दिन में अवगत कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार के विलम्ब/लापरवाही को गम्भीरता से लिया जायेगा।

(सुरेन्द्र राम)

मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन)

समसंख्यक : समदिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. सहायक प्रबन्धक, अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन/तकनीकी), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5. समस्त नोडल अधिकारी, निगम मुख्यालय, लखनऊ।
6. प्र0प्र0(आई0टी0), निगम मुख्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि क्षेत्रों से प्रेषित की जाने वाली सूचनाओं को संकलित कर प्रतिदिन अजोहस्ताक्षरी को वस्तुस्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
7. प्रबन्धक(एम0आई0एस0), निगम मुख्यालय।
8. सहायक प्रबन्धक(आई0टी0/एमआईएस), निगम मुख्यालय, लखनऊ।

30/12/2014

(सुरेन्द्र राम)

मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन)

Sr. S.K. Tiwari
63
21/12